

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपमहानिदेशक प्रशासन सचिवालय)

हमारा संदर्भ: डीडीजीए सचि./1:4

दिनांक : 03 जनवरी 2020

कार्यालय नोट

कई बार देखा गया है कि गतिविधि प्रमुख और उनके अधीन कार्यरत विभाग प्रमुख पूर्व अनुमति के बगैर एक साथ छुट्टी पर होते हैं, इसके परिणामस्वरूप तात्कालिक मामलों को देखने में असुविधा होती है।

2. सक्षम प्राधिकारी (महानिदेशक - बीआईएस) द्वारा निर्देश दिया गया है कि इसके पश्चात् गतिविधि प्रमुख और उनके अधीन कार्यरत विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बगैर एक साथ छुट्टी नहीं लेंगे।

रोमा राय
(रोमा राय)

उपमहानिदेशक (प्रशासन)

बीआईएस इंटरनेट और बीआईएस वेबसाइट के माध्यम से परिचालित:

बीआईएस मुख्यालय के सभी विभाग/एनआईटीएस/केंद्रीय प्रयोगशाला/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/उप-शाखा कार्यालय/प्रयोगशालाएँ

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(DDGA Secretariat)

Our Ref: DDGA Sect./1:4

Dated: 03 January 2020

OFFICE NOTE

It has been viewed that on certain occasions the Activity Heads and the HODs of the departments under them are on leave at the same time without prior information which results in inconvenience in attending to urgent matters.

2. It has been directed by the Competent Authority (DG-BIS) that henceforth the Activity Heads and the HODs of the departments under them, should not remain on leave at the same time without prior approval of the Competent Authority.



(Roma Roy)

Deputy Director General (Admn.)

Circulated through BIS Intranet and BIS website:

To all the Departments at BISHQ/NITS/ Central Lab/Regional Offices/Branch Offices/Sub-Branch Offices/ Labs